स्रोत :- अमर उजाला
दिनांक :- 13.09.2019
पृष्ट संख्या :- 12

आईजीएसटी में 450 करोड़ का घपला, 336 जगहों पर छापे

डीआरआई-डीजीजीआई के 1200 अधिकारियों की दिल्ली समेत 15 राज्यों में कार्रवाई

नई दिल्ली। जीएसटी खुफिया निदेशालय (डीजीजीआई) और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने 450 करोड़ रुपये के आईजीएसटी रिफंड धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए देशभर में 336 जगहों पर छापे मारे। डीजीजीआई और डीआरआई के करीब 1200 अफसरों ने दिल्ली समेत 15 राज्यों में संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया।

अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अंतर्गत काम करने वाली दोनों केंद्रीय एजेंसियों की यह अब तक की सबसे बड़ी संयुक्त क्रार्रवाई है। अधिकारियों के मुताबिक, एजेंसियों को सूचना मिली थी कि कुछ निर्यातक भारत के बाहर माल का निर्यात कर रहे हैं, लेकिन कर का भुगतान (आईजीएसटी) लगभग पूरी तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से किया जा रहा है, जो फर्जी आपूर्ति के आधार पर लिया जाता है। दरअसल, सब कुछ फर्जी था। यानी कोई भी सामान भारत से निर्यात नहीं किया जा रहा था, सिर्फ फर्जी बिल और सामान दिखाकर आईजीएसटी का फायदा लिया जा रहा था। डीजीजीआई को इस बात की जानकारी मिली तो निर्यातकों के डाटा को खंगाला गया।

इसके बाद पता चला कि करीब 3500 करोड़ रुपये के निर्यात को दिखाकर करीब 470 करोड़ रुपये का आईटीसी का फायदा लिया गया। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान डीआरआई और डीजीजीआई ने इस मामले में बहुत सारे निर्यातकों से पूछताछ की और बयान भी दर्ज किए।

इसके अलावा करीब 450 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी का और पता लगाया जा रहा है। दोनों एजेंसियां दस्तावेजों को खंगाल रही हैं। एजेंसी

इन राज्यों में भी पड़े छापे

दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में डीजीजीआई और डीआरआई ने छापे मारे।